प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 17.05.2025**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 144/25 धारा 61(2)/109(1)/103(1)/352 बीएनएस में वांछित 25,000-/ रूपये के इनामी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.05.2025 को थाना बिनौली पर वादी वादी श्री गजेन्द्र तोमर पुत्र गम्भीर सिंह निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.आयुष पुत्र सतेन्द्र 2. अर्जुन पुत्र सतेन्द्र नि0गण ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत व 01 अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के बडे भाई धर्मेन्द्र पुत्र गम्भीर सिंह वर्तमान ग्राम प्रधान सिरसली को गाली गलौच करते हुये जान से मारने की नियत से उसके ऊपर

कई फायर किए गए जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा साथ में बैठे विनीत पुत्र तेजवीर सिंह निवासी ग्राम सिरसली भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वादी के भाई धर्मेन्द्र उपरोक्त को मेरठ में न्युट्रिमा अस्पताल के डाक्टरों द्वारा मृत घोषित कर देना। उपरोक्त सम्पूर्ण घटना अभियुक्त निर्भय सिंह पुत्र जिहाना निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत के द्वारा कराई गई है। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 144/25 धारा 61(2)/109(1)/103(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं इनामी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 144/25 धारा 61(2)/109(1)/103(1)/352 बीएनएस में वांछित 25,000 रुपये के इनामी 01 अभियुक्त को डैरा सच्चा सौदा आश्रम से आगे कृष्णा नदी पुल से गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा उपरोक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 25,000 रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

निर्भय सिंह पुत्र जिहाना सिंह नि0 ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 271/16 धारा 302/307/120b/147/148/149 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत

2- मु0अ0सं0 379/17 धारा 506 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत

3- मु0अ0सं0 41/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत

4- मु0अ0सं0 26/01 धारा 353/506 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत

5- मु0अ0सं0 144/25 धारा 61(2)/109(1)/352/103(1) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री शिवदत्त थाना बिनौली जनपद बागपत

2-निरीक्षक अपराध जितेन्द्र सिंह यादव थाना बिनौली जनपद बागपत

3-है0का0 440 राशिद खान थाना बिनौली जनपद बागपत

4-का0 मुलायम सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर दिनाँक 17.05.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 86/2025 धारा 108 बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 11.05.2025 को वादी श्री अरमान पुत्र श्री निसार अली निवासी इस्लामाबाद गली नं0 4 थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.शाकिर पुत्र रहीसुद्दीन, 2.रहीसुद्दीन पुत्र नामालूम, 3.जाकिर पुत्र रहीसुद्दीन व एक महिला निवासीगण ग्राम अब्दुल्लापुर मेवला थाना चांदीनगर जनपद बागपत के द्वारा वादी की बहन शमा का उत्पीडन किया गया, उत्पीडन से तंग आकर वादी की बहन शमा द्वारा आत्महत्या कर ली गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 86/25 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु.अ.सं. 86/25 धारा 108 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाकिर खान पुत्र रहीसूद्दीन निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर मेवला थाना चाँदीनगर जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री रजनीश कुमार, थाना चांदीनगर जनपद बागपत

2-का0 1065 आलोक कुमार, थाना चांदीनगर जनपद बागपत

3-का0 1014 कुलदीप कुमार, थाना चादीनगर जनपद बागपत

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 17.05.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान जुआ खेलते समय 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 646/- रूपये नगद व 52 ताश के पत्ते बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैंकिग के दौरान जुआ/सट्टा खेलते समय 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 646/- रूपये व 52 ताश के पत्ते बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 180/25 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.आसिफ पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2.शहनवाज पुत्र अनीस निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3. भीमसैन पुत्र राम सिंह निवासी कर्मअलीपुर गढी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **646/- रूपये नगद।**
- **52 ताश के पत्ते।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री प्रियवृत आर्य थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2. का0 479 कुलदीप शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3. का0 579 कौशल शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।